श्री कुर्छे — —
22
3/7/13

अत्यावश्यक 117

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कमांक : प.5(254)/निपेवि/नियम/2013 981-1030 H दिनांक :- 14-06-2013

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान।

विषय :- "दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 तक सेवानिवृत/सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपका ध्यान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.04.2013 को जारी अधिसूचना संख्या प.14(1) वित्त/नियम/2013 II, ज्ञापन संख्या प.12(3) वित्त/नियम/2008 एवं अधिसूचना प.12/वित्त/नियम/2008 II की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी करने व दिनांक 01.01.2006 एवं उसके बाद दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत होने वाले पेंशनरों की पेंशन एवं/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने के प्रावधान किए गए हैं। पेंशन विभाग के संबंधित कार्यालय द्वारा संशोधित पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए सेवानिवृत कर्मचारी की सेवापुस्तिका संबंधित कार्यालय जहां से कर्मचारी सेवानिवृत हुआ है, को भिजवाई जा रही है। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी है :-

1. विकल्प की तिथि को नवीन वेतन नियम 2008 के अन्तर्गत संशोधित वेतन निर्धारण कर सेवानिवृति की तिथि तक वेतन संशोधन करना।
2. निर्धारित वेतन की **कार्यालय में उपलब्ध वरिष्ठतम लेखाकर्मी** से जांच कराकर नियम 81(1)(b)(V) का प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका में अंकित कराना तथा सेवानिवृति तिथि को कर्मचारी को वेतन के साथ देय विशेष वेतन भत्ते जो परिलब्धियों में सम्मिलित किये जाने योग्य हैं/देय हैं को सेवापुस्तिका में अंतिम वेतन के साथ दर्शाना।
3. संशोधित अंतिम वेतन के आधार पर परिलब्धियों, देय पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की गणना कर उसका अभिशंषा में उल्लेख कर सेवापुस्तिका के साथ संशोधित पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाना।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने सभी कार्यालयध्यक्षों को उक्त कार्यवाही शीघ्र पूरी कर संशोधित पेंशन प्रकरण यथा शीघ्र भिजवाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

निदेशक

F:\manish/Letter

(कृ.पृ.उ.)

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक – एफ 26(पेन्शन)एम/आयों/निकाशि/94/381 दिनांक 8-7. 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त निदेशक स्थापना/कार्मिक निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
3. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार